न्यायालय सेशन न्यायाधीश बून्दी, (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार व्यास
आपराधिक अपील सॅख्या : 110/2012

महावीर प्रसाद मानसिंगा नैसर्गिक पिता मुरलीधर मानसिंगा
दत्तक पुत्र तुलसीराम मानसिंगा, महाजन
निवासी 83 अशोका अपार्टमेंट, नेलेन्सी रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र)
हाल मुरलीधर कृपा अस्पताल, उज्जेन रोड़, मक्सी
जिला शाहजहॉपुर (मध्य प्रदेश)

—अपीलार्थी.

वि रू द्ध

राजस्थान राज्य

—प्रत्यर्थी.

2

आपराधिक अपील सॅख्या : 117/2012

वीरेन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद, महाजन
निवासी प्लॉट नम्बर 07, प्रथम प्लॉट नम्बर 04, आई. 20
इण्डस्ट्रीयल स्टेट, करतारपुरा, 22 गोदाम के पास,
जयपुर (राजस्थान)

—अपीलार्थी.

वि रू द्ध

राजस्थान राज्य —प्रत्यर्थी.

3

आपराधिक अपील सॅख्या : 148/2012

राजस्थान राज्य

—अपीलार्थी—परिवादी

वि रू द्ध

1. महावीर प्रसाद पुत्र मुरलीधर मानसिंगा,महाजन
निवासी 83 अशोका अपार्टमेंट, नैलेन्सी रोड़,
मुम्बई (महाराष्ट्र)

2. वीरेन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद, महाजन
निवासी प्लॉट नम्बर 07, प्रथम प्लॉट नम्बर 04, आई. 20
इण्डस्ट्रीयल स्टेट, करतारपुरा, 22 गोदाम के पास,
जयपुर (राजस्थान) —प्रत्यर्थीगण

तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट (क0ख0), बून्दी श्रीमती रिद्धिमा शर्मा द्वारा आपराधिक नियमित प्रकरण क्रमांक 195/2010 राजस्थान राज्य विरूद्ध महावीर प्रसाद व अन्य में दिनांक 25.07.2012 को पारित निर्णय व दण्डादेश के विरूद्ध दाण्डिक अपील्स

उपस्थितः—
1. श्री कमलाकर शर्मा एवं श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता,
महावीर प्रसाद मानसिंगा के अधिवक्तागण
2. श्री रंग बल्लभ चतुर्वेदी एवं श्री राज कुमार माथुर,
वीरेन्द्र कुमार के अधिवक्तागण
3. श्री बी.एस.सक्सेना, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
4. श्री सैयद अफजल हुसैन, श्री राजेन्द्र कुमार जैन एवं
श्री प्रमोद बाकलीवाल,परिवादी सुरेन्द्र कुमार जैन के अधिवक्तागण

निर्णय

दिनांक : 24.09.2015.

1. प्रथम दोनों दाण्डिक अपीलें महावीर प्रसाद मानसिंगा एवं वीरेन्द्र कुमार ने पृथक—पृथक क्रमशः दिनांक 30.07.2012 एवं दिनांक 08.08.2012 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी के न्यायालय में विचाराधीन नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 195/2010 राजस्थान राज्य विरूद्ध महावीर प्रसाद व अन्य में दिनांक 25.07.2012 को पारित निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं जबकि तीसरी दाण्डिक अपील राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, बून्दी ने दिनांक 31.08.2012 को इसी प्रकरण में दिनांक 25.07.2012 को पारित निर्णय के फलस्वरूप देय दण्डादेश को अपर्याप्त होना मानते हुये उसमें अभिवृद्धि किये जाने के सन्दर्भ में प्रस्तुत की है।

चूँकि ये तीनों दाण्डिक अपीलें न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी के निर्णय दिनांक 25.07.2012 से उद्भूत हुई हैं, इसलिये इस एक ही निर्णय के माध्यम से इन्हें निस्तारित किया जा रहा है।

2. अभियोजन कथानक के अनुरूप इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 19.08.2000 को परिवादी सुरेन्द्र कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया एक परिवाद पुलिस अधीक्षक, बून्दी के कार्यालय से इस आशय का प्राप्त हुआ कि प्रार्थी सांगोद जिला कोटा में नरेन्द्र कुमार कम्पनी के नाम से गल्ले का व्यापार करता है। दिनांक 17.02.1998 को गोविन्द पुर बावड़ी जिला बून्दी में स्थित मानसिंगा ऑयल प्रोडक्शन लिमिटेड़ ने उससे सोयाबीन की 300 बोरियॉ क्रय की

थी। उसने मानसिंगा ऑयल प्रोडक्ट लिमिटेड़ से सम्बन्धित व्यक्तियों के निर्देश पर अपने बिलसंख्या 23 दिनांक 19.02.1998 से 140 बोरी कीमत 146330.40/—रूपये एवं बिल संख्या 24 दिनांक 20.02.1998 से 160 बोरी कीमत 167572.60/—रूपये जरिये ट्रक संख्या आर.आर.ओ. 2537 में लोड करवाकर ट्रक को गोविन्दपुर बावड़ी स्थित उक्त प्लॉन्ट में भेजा था। मानसिंगा ऑयल प्रोडक्शन लिमिटेड़ ने उक्त माल नकद भुगतान के वायदे पर क्रय किया था और माल प्लान्ट पर पहुॅचते ही उक्त सोयाबीन का वजन व क्वालिटी का निर्धारण करके भुगतान जरिये चैक अथवा ड्राफ्ट से तुरन्त कर देना था।

उक्त माल उक्त प्लान्ट पर खाली करवा लिया गया और 15 दिवस में नकद भुगतान के लिये आश्वस्त किया गया किन्तु 15 दिवस पूर्ण होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया और न ही माल वापस लौटाया गया। मानसिंगा ऑयल प्रोडक्शन लि0 का जनरल मैनेजर आर.एन.निमोदिया उसे बार—बार प्लान्ट पर बुलाकर झूठे आश्वासन देता रहा। ज्यादा तकाजा करने पर उसे दिनांक 13.04.1998 को 75000/—की राशि का पोस्ट डेटेड़ चैक दिनांकित 29.04.1998 दिया गया जिसे भुगतान हेतु इलाहबाद बैंक, झालावाड़ रोड़, कोटा शाखा में प्रस्तुत करना था लेकिन उक्त चैक की 75000/—की राशि परिवादी के एकाउण्ट से डेबिट कर दी ।

जब प्रार्थी उक्त प्लान्ट पर पहुॅचा तो आर.एन. निमोदिया, मैनेजर ने उक्त चैक में कुछ करेक्शन करने के बहाने चैक उससे ले लिया और उसे नष्ट कर दिया, उसे दूसरा चैक नहीं दिया गया बल्कि धमकी देकर कार्यालय से बाहर भेज दिया। उसे आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। उसे दिनांक 02.05.1998 को इस प्लान्ट के बन्द हो जाने की खबर मिली तब उसने रिपोर्ट करवाने की कोशिश की लेकिन किन्हीं कारणों से रिपोर्ट नहीं हो सकी। मानसिंगा ऑयल प्रोडक्शन लिमिटेड़ के चेयरमैन महावीर प्रसाद मानसिंगा, मैनेजिंग डायरेक्टर वीरेन्द्र कुमार मानसिंगा व जनरल मैनेजर आर.एन.निमोदिया ने उसकी 300 बोरी सोयाबीन की कुल रकम 306409/—रूपये धोखाधड़ी पूर्वक हड़प कर प्लान्ट को ताला लगा दिया और वे भाग गये।

इस आशय की रिपोर्ट के आधार पर अभियोग संख्या 215/2000 अन्तर्गत धारा 420 व 406 भा.दं.सं. पंजीकृत किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया और अनुसंधानोपरान्त अभियुक्तगण महावीर प्रसाद मानसिंगा व वीरेन्द्र कुमार के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अभियोग—पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. एक अन्य अभियुक्त आर.एन.निमोदिया उर्फ रामेश्वर उर्फ सुभाष पुत्र मूल चन्द, निमोदिया इस प्रकरण में मफरूर है जिसके विरूद्ध धारा 299 दं.प्र.सं. के अधीन अधीनस्थ न्यायालय में आरोप—पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.05.2008 को बहस चार्ज सुनने के पश्चात् अपीलार्थी—अभियुक्तगण महावीर प्रसाद मानसिंगा व वीरेन्द्र कुमार को धारा 420 व 406 भा.दं.सं. के आरोप सुनाये व समझाये गये तो उन्होंने आरोपित अपराधों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. उक्त आरोप विरचना के आदेश से व्यथित होकर एक अभियुक्त अपीलार्थी महावीर प्रसाद मानसिंगा ने इस न्यायालय के समक्ष दाण्डिक पुनरीक्षण—याचिका

प्रस्तुत की जिसे कालान्तर में अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट–ट्रेक) संख्या 01, बून्दी के न्यायालय में अन्तरित किया गया जिनके द्वारा दिनांक 19.03.2009 को बाद सुनवाई निगरानीकर्ता की उक्त निगरानी–याचिका को अस्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के आरोप विरचना के आदेश दिनांक 08.05.2008 की पुष्टि की गई।

इस निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त–अपीलार्थी महावीर प्रसाद मानसिंगा ने इस आदेश दिनांक 19.03.2009 के विरूद्ध धारा 482 दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत एक एकल पीठ दाण्डिक पुनरीक्षण–याचिका संख्या 963/2009 राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो बाद सुनवाई दिनांक 14.09.2009 को अस्वीकार कर दी गई।

6. उक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से पी.डब्ल्यू. 01 सुरेन्द्र कुमार जैन, पी.डब्ल्यू. 02 दिनेश कुमार, पी.डब्ल्यू. 03 रामावतार, पी.डब्ल्यू. 04 लाल चन्द, पी.डब्ल्यू. 05 शिव चरण, पी.डब्ल्यू. 06 कृष्ण कुमार, पी.डब्ल्यू. 07 हीरा लाल व पी.डब्ल्यू. 08 गंगा सहाय शर्मा के कथन लेखबद्ध करवाये गये।

7. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नांकित प्रलेख भी प्रदर्शित करवाये गयेः–

1. प्रदर्श पी. 01 सुरेन्द्र कुमार जैन द्वारा लिखे गये पत्र दिनांक 12.12.2008 का कार्यालय शासकीय समापक, जयपुर द्वारा जारी किया गया जवाब दिनांक 19.12.2008
2. प्रदर्श पी. 02 सुरेन्द्र कुमार जैन द्वारा धारा 06 सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन Sundry Creditors Summary. दिनांक 01.04.1998 से 15.04.1998 एवं दिनांक 01.03.1998 से 27.04.1998 के सन्दर्भ में कार्यालय शासकीय समापक, जयपुर का जवाब दिनांक 03.12.2008
3. प्रदर्श पी. 03 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, दिल्ली द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर मैसर्स मानसिंगा ऑयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड़ को उनके पत्र दिनांक 21.01.1998 के सन्दर्भ में पंजीकरण सूचना का पत्र
4. प्रदर्श पी. 03 बिल एडवाइस दिनांक 20.02.1998
5. प्रदर्श पी. 04 बिल एडवाइस दिनांक 21.02.1998
6. प्रदर्श पी. 04 परिवादी सुरेन्द्र कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा
7. प्रदर्श पी. 05 चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट
8. प्रदर्श पी. 06 परिवादी सुरेन्द्र कुमार जैन द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी को आलेखित पत्र दिनांक 25.02.1999
9. प्रदर्श पी. 07 चैक स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
10. प्रदर्श पी. 09 फर्द जब्ती कागजात बिल बुक आदि ।
11. प्रदर्श पी. 11 फर्म नरेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी, सांगोद का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र
12. प्रदर्श पी. 12 जे.एम. संख्या 05, कोटा की आदेशिका अन्तर्गत प्रथम

सूचना रिपोर्ट संख्या 430/1998 विरूद्ध वीरेन्द्र मानसिंगा नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 1442/2009

13. प्रदर्श पी. 13 एफ.आई.आर. संख्या 430/1998 के रिमाण्ड पेपर्स दिनांक 09.05.2008
14. प्रदर्श पी. 14 उक्त प्रकरण की तितम्बा चार्ज सीट
15. प्रदर्श पी. 15 फर्द गिरफ्तारी वीरेन्द्र कुमार
16. प्रदर्श पी. 16 रिमाण्ड पेपर्स (प्रदर्श पी. 13 से सन्दर्भित)
17. प्रदर्श पी. 17 उक्त प्रकरण संख्या 430/1998 में वीरेन्द्र कुमार का जे.सी. वारण्ट
18. प्रदर्श पी. 18 उक्त प्रकरण में अभियुक्त वीरेन्द्र का हाजिरी बाबत् मुचलका व जमानतनामा
19. प्रदर्श पी. 19 उक्त प्रकरण से सन्दर्भित शपथ—पत्र मांगी लाल
20. प्रदर्श पी. 20 उक्त प्रकरण से सन्दर्भित अभियुक्त की हाजिरी बाबत् मुचलका व जमानत नामा
21. प्रदर्श पी. 21 उक्त प्रकरण से सन्दर्भित संजय नामक व्यक्ति का शपथ—पत्र
22. प्रदर्श पी. 22 गुमानपुरा, कोटा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 111/2012
23. प्रदर्श पी. 23 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बून्दी द्वारा दिनांक 09.02.2009 को परिवादी सुरेन्द्र कुमार जैन को लिखा गया पत्र क्रमांक 110
24. प्रदर्श पी. 24 थानाधिकारी, तालेड़ा द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बून्दी को लिखा गया पत्र क्रमांक 637 दिनांक 01.02.2007
25. प्रदर्श पी. 25 पुलिस उपाधीक्षक, बून्दी द्वारा परिवादी सुरेन्द्र कुमार जैन को आलेखित पत्र क्रमांक 1138 दिनांक 05.03.2011
26. प्रदर्श पी. 26 पुलिस उपाधीक्षक, बून्दी द्वारा सुरेन्द्र कुमार जैन को आलेखित पत्र क्रमांक 1000—01 दिनांक 14.02.2012
27. प्रदर्श पी. 27 उप जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी की आदेशिका दिनांक 03.03.2011 जिसमें परिवादी की रिपोर्ट पर गैर सायर महावीर प्रसाद व अन्य के विरूद्ध धारा 111 दं.प्र.सं. के अधीन संस्थित कार्यवाही
28. प्रदर्श पी. 28 उक्त सम्बन्ध में थानाधिकारी, कोतवाली, बून्दी द्वारा किया गया इस्तागासा दिनांकित 06.03.2011
29. प्रदर्श पी. 29 एस.डी.एम., बून्दी द्वारा धारा 107 व 116 (3) दं.प्र.सं. में परिवादी द्वारा गैर सायलान की तामील न होने से उनके नवीन पते से सन्दर्भित पत्र दिनांक 28.07.2011
30. प्रदर्श पी. 30 अभियुक्त पक्ष पर एम.डी.एम. कोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं होने पर परिवादी सुरेन्द्र कुमार जैन द्वारा मुख्यमंत्री, जयपुर को आलेखित पत्र

31. प्रदर्श पी. 31 एस.डी.एम., बून्दी द्वारा थानाधिकारी, कोतवाली, बून्दी द्वारा अभियुक्त पक्ष पर तामील करवाने बाबत् आलेखित पत्र दिनांक 16.01.2012
32. प्रदर्श पी. 32 कार्यालय शासकीय समापक, जयपुर द्वारा परिवादी सुरेन्द्र कुमार जैन को आलेखित पत्र दिनांक 19.12.2008
33. प्रदर्श पी. 33 परिवादी द्वारा दिनांक 01.02.2012 को लिखे गये पत्र का भारत सरकार के कम्पनी मंत्रालय द्वारा दिया गया जवाब दिनांक 21.02.2012
34. प्रदर्श पी. 34 मानसिंगा ऑयल प्रोडक्ट्स लि. के केस नम्बर 66/1998 के Back Ground Note For BIFR Hearing To Be Held On 05.05.1998
35. प्रदर्श पी. 35 कॉरपोरेट क्रूक्स इन इण्डिया
36. प्रदर्श पी. 36 मानसिंगा ऑयल प्रोडक्ट्स लि. के डायरेक्टर्स का विवरण

8. अभियोजन पक्ष के साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष ने निम्नांकित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये :—

1. प्रदर्श डी. 01 पुलिस बयान रामावतार दिनांक 26.08.2000
2. प्रदर्श डी. 02 पुलिस बयान लाल चन्द जैन दिनांक 02.05.2001
3. प्रदर्श डी. 03 पुलिस बयान सुरेन्द्र कुमार दिनांक 26.08.2000
4. प्रदर्श डी. 03 सार्वजनिक सूचना (1994 में किये गये पार्टेशन की सूचना दिनांक 23.08.2011 को अखबार में छपवाई)
5. प्रदर्श डी. 04 तितम्बा पुलिस बयान सुरेन्द्र कुमार दिनांक 02.05.2001
6. प्रदर्श डी. 04 मानसिंगा ऑयल प्रोडक्ट्स लि. के Particulars Of Directors का विवरण

अभियोजन पक्ष द्वारा उक्तांकित मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये अपनी साक्ष्य समाप्त की गई।

9. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया।

अभियुक्त महावीर प्रसाद ने अपने इस परीक्षण में निम्नांकित तथ्य व्यक्त किये हैं :—

माह नवम्बर, 1994 से उसका फैक्ट्री से कोई सम्बन्ध नहीं है तब से अपनी सभी सम्पत्तियों, कम्पनियों आदि की अपने परिवार में, उसके स्वयं के चार सुपुत्रों सहित मैमो ऑफ अण्डरस्टेण्डिंग करके उसके व उसके बेटों में अलग—अलग कर दिया गया था जो कम्पनी जिसके नाम गई, उसके सभी शेयर जो दूसरे पुत्रों व उसके नाम थे, उसके नाम ट्रान्सफर कर दिये। इस प्रकार उसके व चारों पुत्रों के मध्य समस्त कम्पनी का बंटवारा होकर अलग—अलग एकाधिकार हो गया। मानसिंगा ऑयल प्राइवेट लि. उसके सुपुत्र वीरेन्द्र मानसिंगा के हक में चली गई। इस कम्पनी के सभी शेयर व प्रबन्धन वीरेन्द्र मानसिंगा के नाम ट्रान्सफर कर दिये।

नवम्बर, 1994 के बाद से उसने चेयरमैन शिप व मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा वीरेन्द्र मानसिंगा को दे दिया, परन्तु उन्होंने जनवरी, 1997 में कम्पनी के बोर्ड की मीटिंग में स्वीकार किया तब से वह इस कम्पनी में किसी पद पर नियुक्त नहीं है। नवम्बर, 1994 से जब तक तालेड़ा में उपस्थित हुआ, इस बीच कभी इस फैक्ट्री में नहीं गया। बच्चों के मध्य लिखे गये मैमो की फोटोप्रति मार्क एक्स–01 पेश कर रहा है। उसके चेयरमैन शिप व एम.डी. के पद से दिये इस्तीफे व उसके स्वीकार होने की कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति रजि. कम्पनी से प्राप्त की है जो मार्क एक्स–02 है। निम्बोदिया से इस कम्पनी बाबत् कोई बात नहीं हुई। उसके पौत्र नमित की 29 अप्रेल, 1998 को सगाई थी और उस रोज रात को समारोह था। 30 अप्रेल, 1998 को दिन में ट्रस्ट की मीटिंग तीन बजे थी जिसमें वह उपस्थित था और उस दिन रात को एन.एस.सी.आई. कम्पनी का डिनर था जिसमें भी वह उपस्थित था। उसने कोई अपराध नहीं किया।

इसी प्रकार दूसरे अभियुक्त वीरेन्द्र मानसिंगा ने भी अपने कथन अन्तर्गत धारा 313 दं.प्रं.स. में निम्नांकित तथ्य व्यक्त किये हैं :–

फैक्ट्री के नियमित संचालन को चार जनरल मैनेजर देखते थे। मैनेजर (प्रशासनिक) श्री निम्बोदिया थे जो प्रशासनिक कार्य देखते थे। मैनेजर (वित्त) श्री खण्डेलवाल थे जो वित्तीय लेनदेन देखते थे। तकनीकी पक्ष श्री राठी जनरल मैनेजर देखते थे व व्यावसायिक गतिविधियॉ श्री जिन्दल जनरल मैनेजर देखते थे। उसका कम्पनी के नियमित संचालन से सीधा सम्पर्क नहीं था । वह जयपुर मंगल मार्ग स्थित ऑफिस से कम्पनी का संचालन देखता था। कम्पनी पब्लिक लिमिटेड़ थी जिसका स्वामी प्रत्येक शेयर होल्डर है। उसने कोई अपराध नहीं किया।

इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण की ओर से अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अभियुक्तगण की ओर से अपनी प्रतिरक्षा साक्ष्य समाप्त की गई।

10. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष की बहस सुनकर आलौच्य निर्णय पारित करते हुए उक्त दोनों अभियुक्तगण को धारा 420 व 406 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध करार देकर सजा के बिन्दु पर सुनने के पश्चात् अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ नहीं देते हुए प्रत्येक अभियुक्त को धारा 420 भा.दं.सं. के अपराध के लिए एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 5000/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतने का निर्देश दिया । धारा 406 भा.दं. सं. के अपराध के लिए प्रत्येक अभियुक्त को 06 माह का साधारण कारावास एवं 3000/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त को 10 दिवस का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी निर्दिष्ट किया कि अभियुक्तगण की मूल सजाएँ साथ–साथ चलेंगी एवं उनके द्वारा भुगती हुई पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत मूल सजा में समयोजित होगी ।

11. इस निर्णय एवं दण्डादेश से व्यथित होकर दोनों अपीलार्थी–अभियुक्तगण ने प्रथम एवं द्वितीय अपील संख्या 110/2012 एवं 117/2012 अलग–अलग प्रस्तुत की हैं तथा अभियुक्तगण को प्रदत्त दण्डादेश को अपर्याप्त मानते हुए राज्य सरकार

की ओर से भी दण्डादेश में अभिवृद्धि हेतु पृथकतः एक अपील संख्या 148/2012 प्रस्तुत की गई है । इस पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई ।

12. इन अपीलों पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया ।

13. उक्त प्रथम एवं द्वितीय दाण्डिक अपीलों के सम्बन्ध में मेरे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सही मूल्यांकन एवं विधि के सही निर्वचन पर आधारित है अथवा नहीं ?

प्रथम दाण्डिक अपील संख्या 110/2012 बाबत् अभियुक्त—अपीलार्थी महावीर प्रसाद

14. इस अपील की सुनवाई के दौरान अभियुक्त—अपीलार्थी महावीर प्रसाद के विद्वान अधिवक्तागण ने विस्तार से बहस करते हुए बहस के दौरान सर्वप्रथम निम्नांकित न्यायदृष्टान्त प्रस्तुत किये :—

1. वीर प्रकाश शर्मा विरूद्ध अनिल कुमार अग्रवाल
   ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 4816
2. ए.एल.पानियन शनमुगम व अन्य विरूद्ध आन्ध्रप्रदेश राज्य
   1990 (सप्लीमेंट) एस.सी.सी. 607
3. वी.पी. श्रीवास्तव विरूद्ध इण्डिन एक्सप्लोजिव लि0 व अन्य
   2010 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 787
4. प्रमोद कुमार छापरवाल व अन्य विरूद्ध राजस्थान राज्य
   2012(1) आर.एल.डब्ल्यू. 375 (राज0)
5. जी.सागर सूरी व अन्य विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य
   (2000)2 एस.सी.सी. 636
6. ह्रदयरंजन प्रसाद वर्मा व अन्य विरूद्ध बिहार राज्य व अन्य
   (2000) 4 एस.सी.सी. 168
7. एस.डब्ल्यू. पलनिटकर व अन्य विरूद्ध बिहार राज्य
   (2002) 1 एस.सी.सी. 241
   2014 एस.सी.सी. ऑन लाइन एस.सी. 540
8. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन विरूद्ध एन.ई.पी.सी.इण्डियालि0 व अन्य
   (2006) 6 एस.सी.सी. 736
9. मकसूद सैयद विरूद्ध गुजरात राज्य व अन्य
   (2008) 5 एस.सी.सी. 668
10. थूलिया काली विरूद्ध तमिलनाडू राज्य
    ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 501
11. दिलावर सिंह विरूद्ध दिल्ली राज्य
    (2007) 12 एस.सी.सी. 641
12. अरूणवेलू विरूद्ध स्टेट व अन्य
    2010 क्रिमिनल लॉ जरनल 433 (एस.सी.)

13. स्टेट जरिये इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस तमिलनाडू विरूद्ध सेट उर्फ कृष्णा कुमार
(2008) 15 एस.सी.सी. 440
14. लालू मांझी व अन्य विरूद्ध झारखण्ड राज्य
(2003) 2 एस.सी.सी. 401
15. हरियाणा राज्य विरूद्ध गुरूदयाल सिंह व अन्य
(1974) 4 एस.सी.सी. 494
16. केकी होरमुशजी गरडा तथा अन्य विरूद्ध मेहरवान रूस्तम ईरानी व अन्य
(2009) 6 एस.सी.सी. 475
17. एस.के.अलग विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य
(2008) 5 एस.सी.सी. 662
18. स्टेट जरिये सी.बी.आई. एन्टी करप्शन ब्रांच चण्डीगढ़ विरूद्ध संजीव भल्ला व अन्य
2014 एस.सी.सी. ऑनलाईन एस.सी. 540
19. दुर्गाप्रसाद जैन विरूद्ध राजस्थान राज्य
एस.बी.क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन संख्या 88/1999 निर्णय दिनांक 15.01.2013

उक्त न्यायदृष्टान्तों को प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया गया है कि परिवादी पक्ष ने विशुद्ध रूप से व्यापारिक संव्यवहार को आपराधिक रंग देने का प्रयास किया है क्योंकि स्वयं प्राथमिकी (इस्तगासा) प्रदर्श पी.4 का सार यह है कि परिवादी ने मानसिंगा ऑयल प्रोडक्ट लिमिटेड को 300 बोरी सोयाबीन बेचा है जिसका भुगतान नहीं हुआ क्योंकि उक्त कम्पनी समापन (Liquidation) में चली गई, इसलिए रूपयों की यदि कोई बकाया निकलती है तो इस सम्बन्ध में परिवादी को चाहिए था कि वह धन वसूली हेतु सक्षम न्यायालय में दीवानी वाद प्रस्तुत करता किन्तु इस सम्बन्ध में उसकी ओर से न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही सिविल वाद प्रस्तुत किया गया । अपीलार्थी पर अनुचित दबाव डालने की वजह से यह झूठा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया है जिसे प्रारम्भिक तौर पर ही निरस्त किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में '' द सिक इण्डस्ट्रीयल कम्पनीज (स्पेशन प्रोविजन्स) एक्ट,1985 '' के प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए इस सम्बन्ध में उक्त वर्णित न्यायदृष्टान्त संख्या–1 से 9 को प्रस्तुत किया गया।

15. आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी प्रदर्श पी.4 दिनांक 19.08.2000 को थाना तालेड़ा में दर्ज करवाई गई है जो कि कम्प्यूटर जरनेटेड है और इसमें दिनांक 17.02.1998 के व्यापारिक संव्यवहार (कामर्शियल ट्रांजक्शन) को दर्शाया गया है तथा यह प्राथमिकी दिनांक 17.02.1998, 19.02.1998, 20.02.1998 एवं 28.04.1998 की घटनाओं पर आधारित है और इन घटनाओं के करीब दो वर्ष चार माह पश्चात् दिनांक 19.08.2000 को यह प्राथमिकी प्रस्तुत की गई है ।

इस दीर्घ और अप्रत्याशित विलम्ब का कोई उचित कारण न तो उक्त रिपोर्ट में दर्शाया गया है और न ही परिवादी सुरेन्द्र कुमार जैन (पी.डब्ल्यू.1) की साक्ष्य से स्पष्ट होता है । जहॉं प्राथमिकी दर्ज करवाने में असाधारण विलम्ब किया जाये एवं न्यायालय के समाधान हेतु उचित व सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाये, वहॉं पर अभियोजन कहानी प्रारम्भ से ही सन्देह के घेरे में विचरती है, इस कारण से अभियोजन पक्ष के विरूद्ध निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था, जिसे नहीं निकाल कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है । अपने इन तर्को के समर्थन में विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त–अपीलार्थी ने न्यायदृष्टान्त संख्या–10 से 12 प्रस्तुत किये हैं ।

16. विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त–अपीलार्थी ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि परिवादी सुरेन्द्र कुमार जैन ने अपने पूर्ववर्ती पुलिस बयान (प्रदर्श डी.3) एवं अनुपूरक पुलिस कथन (प्रदर्श डी.4) के संवर्द्धन में एवं कई जगह उनके विरोधाभास में बयान दिये हैं । इसी प्रकार परिवादी के साक्षी रामावतार (पी.डब्ल्यू. 3) ने भी अपने पूर्ववर्ती पुलिस कथन (प्रदर्श डी.1) के संवर्द्धन एवं विरोधाभास में बयान दिया है । इसी प्रकार एक अन्य अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.4 लाल चन्द ने भी अपने पूर्ववर्ती पुलिस बयान (प्रदर्श डी.2) के विरोध में बयान दिया है । उक्त विरोधाभासों की ओर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का भी ध्यान आकृष्ट किया गया था किन्तु इसके बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने परिवादी एवं उसके पक्ष की साक्ष्य को अपीलार्थी के सम्बन्ध में सही मानते हुए दोषसिद्धि का जो निष्कर्ष निकाला है, वह सम्यक्, विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं है । अपने इन तर्को के समर्थन में उनकी ओर से उक्तांकित न्यायदृष्टान्त संख्या–13 से 15 की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

17. आगे यह भी तर्क दिया गया है कि प्राथमिकी में अभियुक्त–अपीलार्थी का कोई विशिष्ट कृत्य नहीं दर्शाया गया है । अपीलार्थी के आदेश पर सोयाबीन उक्त फैक्ट्री को दिया जाना प्रमाणित नहीं होते हुए भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त–अपीलार्थी को दोषी मानकर तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है । यहॉं तक कि स्वयं अभियोजन पक्ष ने जो प्रलेख प्रदर्श पी.33, पी.34 एवं पी.36 प्रस्तुत किये हैं, वे ऑफिशियल प्रलेख हैं जिनसे यह भलीभॉंति प्रमाणित है कि कथित कम्पनी–मानसिंगा ऑयल प्रोडक्टस लिमिटेड से अभियुक्त–अपीलार्थी महावीर प्रसाद दिनांक 21.02.1997 को ही स्तीफा दे चुका था एवं उसका यह त्याग पत्र मंजूर भी हो गया था अर्थात् प्रलेख प्रदर्श पी.36 से भी यह प्रमाणित है कि अभियुक्त महावीर प्रसाद दिनांक 20.01.1997 के बाद इस कम्पनी–मानसिंगा ऑयल प्रोडक्टस लिमिटेड में संचालक (डायरेक्टर) के पद पर कार्यरत नहीं रहा जबकि प्रश्नगत घटना का उद्गम ही दिनांक 17.02.1998 को होना बताया जाता है । इस सम्बन्ध में मौखिक साक्ष्य के द्वारा अभियुक्त–अपीलार्थी महावीर प्रसाद को इस अपराध में संलिप्त किया गया है, उसका अपवर्जन किया जाना चाहिए जबकि अभियुक्त–अपीलार्थी ने धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में भी ये ही तथ्य बताये हैं । उन कथनों की सम्पुष्टि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् से होते हुए भी उसे दोषी मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है और फिर किसी

कम्पनी के अधिकारी द्वारा किये गये कृत्य से उस कम्पनी के संचालक (डायरेक्टर) को प्रतिनिहित रूप से दायित्वाधीन (Vicariously Liable) नहीं ठहराया जा सकता। इस सन्दर्भ में उक्तांकित न्यायदृष्टान्त संख्या–16 से 17 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहा गया है कि इस प्रकरण में तो अभियुक्त–अपीलार्थी महावीर प्रसाद कथित संव्यवहार वाले दिन इस कम्पनी में संचालक ही नहीं था। धारा 406 व 420 भा.दं.सं. के अपराध से सन्दर्भित आवश्यक तत्व अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य से युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित हुये बिना ही अभियुक्त–अपीलार्थी को इन अपराधों के लिए दोषसिद्ध करार देकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है, इसलिए अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाये एवं अभियुक्त–अपीलार्थी महावीर प्रसाद को उक्त आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किया जाये ।

अन्त में विकल्प में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि किन्हीं कारणों से अभियुक्त–अपीलार्थी की यह दाण्डिक अपील अस्वीकार की जाये तो अभियुक्त –अपीलार्थी की वृद्धावस्था (83 वर्ष से अधिक की आयु) एवं उसकी अस्वस्थता को दृष्टिगत रखते हुये उसे धारा 360 दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत '' परिवीक्षा'' का लाभ प्रदान किया जाये। इस सम्बन्ध में उक्तांकित न्यायदृष्टान्त संख्या 18 व 19 की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया।

द्वितीय आपराधिक अपील संख्या 117/2012 वीरेन्द्र कुमार विरूद्ध राजस्थान राज्य.

18. विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त–अपीलार्थी वीरेन्द्र कुमार ने भी अभियुक्त–अपीलार्थी महावीर प्रसाद की ओर से प्रस्तुत उक्तांकित मूलतः तर्को पर अवलम्ब लेते हुये यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रथम तो अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित ही नहीं किया है कि तथाकथित 300 बोरी सोयाबीन मानसिंगा ऑयल प्रोडक्ट्स लि. को सप्लाई किया गया। यदि ऐसी सप्लाई भी की गई तो भी परिवादी का यह दायित्व था कि वह विधि द्वारा अभिनिर्धारित समयावधि में उक्त कम्पनी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में दीवानी वाद प्रस्तुत करता और अपनी उक्त काल्पनिक बकाया को कम्पनी की चल–अचल सम्पत्ति से वसूल करता लेकिन उसने ऐसा नहीं करके अपीलार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध एक मिथ्या व निराधार कथानक सृजित करके अनुसंधान एजेंसी से अपने तारतम्यपूर्ण सम्बन्धों का अनुचित लाभ उठाकर फौजदारी मुकदमा किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुये अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने में विधिक भूल की है।

आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष ने बोर्ड फोर इण्डस्ट्रीयल एण्ड फाइनेंसियल रि–कन्स्ट्रक्शन की कार्यवाही को आधार बनाकर

अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्वाग्रह विकसित किया है जबकि इसकी चर्चा न तो परिवादी की प्राथमिकी में है और न ही इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया गया है । जहॉं तक BIFR के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति का प्रश्न है, किसी भी कम्पनी का आवेदन यदि BIFR में पहुॅंचता है और वहॉं पर केस दर्ज किया जाता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कम्पनी अपना व्यवसाय ही बन्द कर दे। BIFR बीमार कम्पनीज को पुनः सुदृढ़ करने वाली संस्था है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय के समय BIFR में दिये गये आवेदन को आधार बनाते हुये अभियुक्त–अपीलार्थी को दण्डित करने में विधिक त्रुटि की है।

यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त –अपीलार्थी का मानसिंगा आयॅल प्रोडक्ट्स लि. कम्पनी के डेट टू डेट व्यावसायिक कृत्य से कोई सम्बन्ध नहीं होते हुये भी और धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण के समय इन तथ्यों का स्पष्टतः उल्लेख करने के बावजूद मानसिंगा ऑयल प्रोडक्ट्स लि. कम्पनी के डायरेक्टर होने के नाते कम्पनी के अधिकारी द्वारा किये गये कृत्य के लिये उसे प्रतिनिहित रूप से दायित्वाधीन ठहराकर दोषसिद्धि का जो निष्कर्ष विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निकाला है, वह सम्यक् एवं न्यायोचित नहीं है।

इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त ने अपने उक्त तर्कों के समर्थन में निम्नांकित न्यायदृष्टान्त भी प्रस्तुत किये हैं :–

1. प्रदीप मूंदड़ा विरूद्ध राजस्थान राज्य व अन्य
   2008 (1) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज.) 855–856
2. महावीर प्रसाद मानसिंगा विरूद्ध राजस्थान राज्य.
   एकल पीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या 504/2011 आदेश
   दिनांक 15.01.2013
3. एस.के. अलग विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य.
   2008 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 377

अतः अभियुक्त–अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार करते हुये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय एवं दण्डादेश को अपास्त किया जाये।

तृतीय आपराधिक अपील संख्या 148/2012 राजस्थान राज्य विरूद्ध महावीर प्रसाद व अन्य.

19. राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्तागण परिवादी पक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का दोषसिद्धि का निष्कर्ष साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विचारणीय बिन्दु बनाकर विस्तार से अभियोजन साक्ष्य का तार्किक विवेचन किया है और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रस्तुत सभी न्यायदृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का सम्यक् विश्लेषण करते हुये धारा 420 भा. दं.सं. के आरोप को प्रमाणित करने हेतु धारा 415 व धारा 23, 24 व 25 भा.दं.सं. में परिभाषित शब्दावली का व धारा 406 भा.दं.सं. के सन्दर्भ में धारा 405 भा.दं.सं. में

परिभाषित आपराधिक न्यास भंग शब्दावली का सही रूप से विश्लेषण करते हुये, अभियुक्तगण के विरूद्ध छल एवं आपराधिक न्यास भंग के आरोपों में दोषसिद्धि स्थापित की है, वह विधि अनुरूप है जिसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

जहाँ तक दण्डादेश के परिमाण (मात्रा) का प्रश्न है, उसे अल्प होना बताते हुये, यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण को इस मामले में अधिकतम कठोर दण्ड अर्थात सात वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डादिष्ट किया जाये एवं धारा 357 दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत परिवादी को अभियुक्तगण से वर्तमान मूल्य दर (अर्थात अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.07.2012 की दिनांक से) का पर्याप्त प्रतिकर 15,00,000/—रूपये पृथकतः दिलवाये जाकर अभियुक्त—अपीलार्थीगण की अपीलें खारिज की जायें।

अपने उक्त तर्कों के समर्थन में विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्तागण परिवादी पक्ष ने भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 540 व 542 की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुये निम्नांकित न्यायदृष्टान्त भी प्रस्तुत किये :—

1. राजेश बजाज विरूद्ध स्टेट ऑफ एन.सी.टी. देहली व अन्य
   1999 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर 235
2. पंजाब राज्य विरूद्ध प्रीतम चन्द व अन्य
   2009 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 727
3. हरि नारायण शर्मा विरूद्ध भंवर लाल व अन्य
   2011 (2) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज.) 1699
4. अनिमि रेड्डी वैंकटा रामन्ना व अन्य विरूद्ध लोक अभियोजक, आंध्रप्रदेश, उच्च न्यायालय
   2008 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 238
5. अरूल वैलू विरूद्ध स्टेट जरिये पब्लिक प्रोसिक्यूटर व अन्य
   2010 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 08
6. राजस्थान राज्य विरूद्ध हीरा लाल व अन्य
   2000 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज.) 613
7. उत्तर प्रदेश राज्य विरूद्ध मुनेश
   2012 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 1019
8. उत्तर प्रदेश राज्य विरूद्ध हरि मोहन व अन्य
   ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 142
9. लीला राम (मृतक) जरिये दूली चन्द विरूद्ध हरियाणा राज्य व अन्य
   ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 3717
10. किशन सिंह विरूद्ध राजस्थान राज्य.
    1991 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज.) 129
11. महाराष्ट्र राज्य व अन्य विरूद्ध मंजूरया व अन्य
    2004—05 (सप्लीमेंट) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 791
12. सुन्दर सिंह विरूद्ध उत्तरांचल राज्य

2010 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 854

13. प्रिथी पाल सिंह व अन्य विरूद्ध पंजाब राज्य व अन्य
2011 (सप्लीमेंट) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 714

14. हरशेन्द्र कुमार डी. विरूद्ध रेबती लता कोहली व अन्य
क्रिमिनल अपील संख्या 366—377 /2011 (एस.सी.)

15. सुहास बंध विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व अन्य
क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 2331/2006 (मुम्बई) 16

16. एस.के. भार्गव विरूद्ध कलक्टर, चण्डीगढ़ व अन्य
(एस.सी.) निर्णय दिनांक 23.04.1998

17. एन.देविन्द्रप्पा विरूद्ध कर्नाटक राज्य
2007 (3) आर.एल.डब्ल्यू. (एस.सी.) 2341

20. उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत किये गये न्यायदृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया ।

21. उल्लेखनीय रहे कि अभियुक्त—अपीलार्थी महावीर प्रसाद के विद्वान अधिवक्तागण ने सर्वप्रथम जो तर्क दिया है कि परिवादी पक्ष ने विशुद्ध रूप से व्यापारिक संव्यवहार को आपराधिक रंग देने का प्राथमिकी प्रदर्श पी.4 के माध्यम से प्रयास किया है और इसके समर्थन में उपर्युक्त पेरा संख्या 14 में वर्णित न्यायदृष्टान्त संख्या 1 से 9 प्रस्तुत किये गये हैं तथा अभियुक्त—अपीलार्थी वीरेन्द्र कुमार के विद्वान अधिवक्तागण ने भी उपर्युक्त पेरा संख्या 18 में वर्णित न्यायदृष्टान्त संख्या 1 व 2 प्रस्तुत किये हैं । इन न्यायदृष्टान्तों का अध्ययन किया गया । ये न्यायदृष्टान्त धारा 482 दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय के अन्तर्निहित क्षेत्राधिकार के अधीन प्रतिपादित किये गये हैं जिनमें प्राथमिकी को निरस्त करने के सम्बन्ध में सिद्धान्त प्रतिपादित हैं, उनमें प्राथमिकी में अंकित तथ्यों के आधार पर ही धारा 420 व 406 भा.दं.सं. के आवश्यक तत्व नहीं पाये जाने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिये गये प्रसंज्ञान को निरस्त किया गया है जबकि हस्तगत प्रकरण में ये न्यायदृष्टान्त इसलिए प्रासंगिक नहीं हैं कि इस प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आरोप विरचना के आदेश दिनांक 08.05.2008 के विरूद्ध अभियुक्त—अपीलार्थी महावीर प्रसाद द्वारा सेशन न्यायालय में की गई निगरानी याचिका दिनांक 19.03.2009 को खारिज कर दी गई तथा धारा 482 द.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत प्रस्तुत की गई दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका को भी दिनांक 14.09.2009 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए अभियुक्त—अपीलार्थीगण का यह कहना कि प्राथमिकी से मात्र व्यापारिक संव्यवहार ही झलकता है एवं किसी प्रकार का आपराधिक आशय सन्निहित नहीं है, पूर्णतः निराधार है, इसलिए अभियुक्त—अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त न्यायदृष्टान्त उनके लिए लाभप्रद नहीं हैं ।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय रहे कि छल के मामले की परिणति दीवानी एवं आपराधिक दोनों दायित्वों में हो सकती है । मात्र इसलिए कि अभियुक्त—अपीलार्थीगण के कृत्य का दायित्व दीवानी प्रकृति का था, इसका यह

आशय नहीं है कि उनका आपराधिक दायित्व भी नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में परिवादी पक्ष की ओर से उक्त पेरा संख्या–19 में वर्णित न्यायदृष्टान्त संख्या 2,3 एवं 17 की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है जिनके बारे में आगे और तथ्यों का विश्लेषण करते हुए विवेचन किया जायेगा ।

22. अब जहॉ तक धारा 420 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विधिक स्थिति यह है कि इस अपराध को किये जाने के लिए यह अपेक्षित है कि अभियुक्त पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति को धोखा अवश्य दिया जाना चाहिए और वह कपटपूर्ण एवं बेईमानीपूर्ण तरीके से ऐसे व्यक्ति को ऐसा कृत्य करने के लिए उत्प्रेरित करे जिसे कि वह अन्यथा नहीं करता । यदि किसी व्यक्ति को धोखा दिया जाता है और उसे कपटपूर्वक एवं बेईमानी से कृत्य करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है तो अभियुक्त छल का अपराधी होता है । यह तत्वहीन है कि उसने किस प्रकार धोखा दिया है एवं उत्प्रेरित किया है । धारा 420 भा.दं.सं. के अधीन छल का अपराध गठित होने के लिए दोषी मानस को प्रारम्भ से ही अस्तित्व में होना चाहिए एवं आपराधिक कृत्य तथा आपराधिक मनः स्थिति दोनों होनी चाहिए । अतः अपेक्षित आपराधिक मनः स्थिति के अभाव में कोई आपराधिक दायित्व नहीं जोड़ा जा सकता । ''छल'' के अपराध के सन्दर्भ में धारा 415 भा.दं.सं. के दृष्टान्त (च) का यहॉ उल्लेख करना उचित समझता हूं :–

'' क साशय प्रवंचना करके य को यह विश्वास कराता है कि क को जो धन य उधार देगा, उसे वह चुका देगा, और एतद्द्वारा बेईमानी से य को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे धन उधार दे दे, जबकि क का आशय उस धन को चुकाने का नहीं है । क छल करता है ।'' इस दृष्टान्त के अनुसार नहीं चुकाने के आशय से उधार लिये गये माल/रूपयों की प्राप्ति से ही छल हो जाता है ।

23. अतः उक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य/सामग्री का मेरे द्वारा अवलोकन व मनन किया गया तथा आलौच्य निर्णय पर भी उक्त विधिक स्थिति एवं अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में भी विचार किया गया । इस मामले में यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अभियुक्त–अपीलार्थीगण महावीर प्रसाद एवं वीरेन्द्र कुमार के कहीं पर भी अर्थात् किसी भी प्रलेख पर हस्ताक्षर नहीं हैं किन्तु प्रश्न यह है कि यदि किसी प्रलेख पर कोई अभियुक्त चतुराई से हस्ताक्षर नहीं करे तो क्या यह मान लिया जाये कि वह उक्त अपराध में सम्मिलित नहीं है ? प्रवंचना हेतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्यक्षतः प्रलेखीय साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध हो ही, प्रवंचना मौखिक रूप से भी हो सकती है । मेरी विनम्र राय में इस सम्पूर्ण प्रकरण का सूत्रधार अभियुक्त–अपीलार्थी महावीर प्रसाद रहा है जो कि अभियुक्त–अपीलार्थी वीरेन्द्र कुमार का पिता है, जिसके सम्बन्ध में परिवादी सुरेन्द्र कुमार जैन (पी.डब्ल्यू.1) ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनांक 17.02. 1998 को फोन पर उसने अभियुक्त महावीर प्रसाद से बात की जिसने 300 बोरी सोयाबीन आपूर्ति करने के लिए कहा एवं इसका 15 दिवस में पेमेन्ट करने का आश्वासन दिया । तत्समय अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार प्रत्यक्ष रूप से वहॉ पर उपस्थित था । उनके इस आश्वासन के आधार पर ही परिवादी ने बिल संख्या 23 व

24 क्रमशः प्रदर्श पी.1 एवं पी.2 के द्वारा क्रमशः दिनांक 19.02.1998 एवं 20.02.1998 को 140 एवं 160 बोरी सोयाबीन कीमत क्रमशः 146330.40 रूपये एवं 167572.60 रूपये का माल (सोयाबीन) जरिये ट्रक संख्या आर.आर.ओ. 2537 में लोड करवाकर ट्रक को गोविन्दपुर बावड़ी जिला बून्दी स्थित मानसिंगा ऑयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड नामक प्लान्ट पर भिजवाया था जिसके सम्बन्ध में ट्रक स्वामी दिनेश कुमार (पी.डब्ल्यू.2) ने भी उसके समर्थन में कथन किया है एवं माल अभियुक्त–अपीलार्थीगण की फैक्ट्री में पहुंचा, इस सम्बन्ध में बिल पास एडवाइजर प्रदर्श पी.3 व प्रदर्श पी.4 पर अभियुक्त–अपीलार्थीगण के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होना बताये जाते हैं तथा परिवादी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त महावीर प्रसाद से उसने तीन–चार बार फैक्ट्री में मुलाकात की तब भी उसने सोयाबीन की बोरियों के सम्बन्ध में 15 दिवस में पेमेन्ट करने का आश्वासन दिया था और मैनेजर आर.एन.निमोदिया ने भी अभियुक्त महावीर प्रसाद का हवाला देते हुए भुगतान देरी से करना कहा है । परिवादी सुरेन्द्र कुमार जैन के मुनीम रामावतार (पी.डब्ल्यू.3) ने भी स्पष्टतः कहा है कि उसने फैक्ट्री में अभियुक्त महावीर प्रसाद को देखा था जिसकी नेम प्लेट भी इस साक्षी ने वहाँ पर मौजूद होना बताई है । यहाँ तक कि स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षीगण पी.डब्ल्यू.4 लाल चन्द एवं पी.डब्ल्यू.7 हीरा लाल ने भी यह बताया है कि जिस समय निमोदिया ने परिवादी से चैक छीना, उसके बाद अपने सेठ–अभियुक्तगण महावीर प्रसाद एवं वीरेन्द्र कुमार से फोन पर बात की थी जिन्होंने कहा था कि अभी भुगतान के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि 15 दिन में भुगतान करने का वायदा करके परिवादी से 300 बोरी सोयाबीन ली गई थी ।

24. अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या अभियुक्तगण ने परिवादी पक्ष को प्रवंचित किया अथवा नहीं ?

इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण का पूर्व एवं पश्चात्वर्ती आचरण ही सुसंगत है, इस सम्बन्ध में परिवादी ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के रजिस्ट्रार से प्रलेख प्रदर्श पी.3 प्राप्त करके न्यायालय में प्रदर्शित करवाया है जिससे स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि दिनांक 31.03.1997 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में मानसिंगा ऑयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसका विधिवत् डायरेक्टर अभियुक्त–अपीलार्थी वीरेन्द्र कुमार था, ने दिनांक 21.01.1998 को साधारण सभा की बैठक में यह संकल्प पारित किया था कि कम्पनी के दायित्व सम्पत्तियों से अधिक हैं, इसलिए कम्पनी के समापन हेतु धारा 15(1) सिक इण्डस्ट्रीज कम्पनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट,1985 के अधीन BIFR में आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे वहाँ पर केस नम्बर 66/98 के रूप में दिनांक 27.01.1998 को पंजीबद्ध कर लिया गया था। इससे स्पष्ट रूप से यह जाहिर है कि अभियुक्त–अपीलार्थी वीरेन्द्र कुमार को स्पष्ट रूप से यह पता था कि उनकी यह कम्पनी समापन में जा रही है जिसमें लेनदारों को उनके माल की सम्पूर्ण कीमत नहीं मिलेगी, यह तथ्य इनकी जानकारी में दिनांक 21.01.1998 के संकल्प में ही आ गया था फिर भी इस तथ्य को छुपाते हुए दिनांक 17.02.1998 को परिवादी को साशय यह प्रवंचना देते हुए कि वह उन्हें माल सप्लाई करे, जिसका भुगतान 15 दिवस में कर दिया जायेगा, उनके प्रारम्भ से

ही दुराशय, आपराधिक मनः स्थिति एवं प्रवंचना को स्पष्टतः परिलक्षित करता है । परिवादी को यह आश्वासन इस कम्पनी के डायरेक्टर–अभियुक्त–अपीलार्थी वीरेन्द्र कुमार स्वयं ने दिया था । साथ ही उसी दिन दिनांक 17.02.1998 को अभियुक्त महावीर प्रसाद ने भी परिवादी को दूरभाष पर यह विश्वास दिलाया था कि उसके माल का भुगतान 15 दिवस की कालावधि में हो जायेगा, मानो कि वह कम्पनी का वस्तुतः (De-facto) डायरेक्टर हो । परिवादी को इसलिए विश्वास हो गया कि इस संव्यवहार से पूर्व माह नवम्बर,1997 में जब तक कि कम्पनी का समापन नहीं किया गया था, परिवादी ने बिल संख्या 13 व 14 दिनांक 25.09.1997 के माध्यम से मानसिंगा ऑयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को ही माल बेचा था और उसका भुगतान हो गया था, इसलिए परिवादी को जब यह कहा गया कि दिनांक 17.02.1998 के माल का भी भुगतान 15 दिवस के अन्दर हो जायेगा तो विश्वास करके उसने उक्त माल रवाना कर दिया । यदि परिवादी को यह बता दिया जाता कि अभियुक्त महावीर प्रसाद इस कम्पनी का डायरेक्टर नहीं है या इस कम्पनी के समापन हेतु BIFR में आवेदन किया जा चुका है तो शायद परिवादी अपना माल अभियुक्तगण को उधार में नहीं भेजता ।

25. जहॉं तक अभियुक्त–अपीलार्थी महावीर प्रसाद का यह कहना कि उसने इस कम्पनी से दिनांक 20.01.1997 को ही डायरेक्टर के पद से त्याग–पत्र दे दिया है, जबकि ऐसे किसी त्याग–पत्र का कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है और यदि त्याग–पत्र दे भी दिया गया है तो परिवादी को दिनांक 17.02.1998 को फैक्ट्री का मालिक होने के नाते माल सप्लाई करने हेतु दूरभाष पर प्रेरित करने की क्या आवश्यकता थी तथा फैक्ट्री में उपस्थित रहने एवं वहॉं पर अपने नाम की नेम प्लेट मौजूद होना और वहीं पर मौजूद रहकर भुगतान विलम्ब से करने का कहना, ये सारे सुप्रकाशकारी कृत्य अपने आप में छल की श्रेणी में आते हैं । इस प्रकार अभियुक्त–अपीलार्थी महावीर प्रसाद ने अपने आपको उक्त फैक्ट्री का स्वामी होना बताकर अपनी फैक्ट्री का अच्छा व्यवसाय होना कहकर परिवादी को प्रवंचित किया और उसकी 300 बोरी सोयाबीन प्राप्त करके उसका भुगतान नहीं किया ।

26. जहॉं तक BIFR के प्रावधानों का प्रश्न है तो अभियुक्त महावीर प्रसाद का डायरेक्टर नहीं होने या कम्पनी द्वारा किसी को भुगतान नहीं कर पाने के तथ्य परिवादी को नहीं बताये गये थे । यह अभियुक्त डायरेक्टर था या नहीं तथा कब तक था एवं कितना दायित्व कम्पनी का उन पर है, ये सभी तथ्य फौजदारी प्रकरण में बल नहीं रखते हैं ।

27. जहॉं तक अभियुक्त महावीर प्रसाद के अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक् (Plea of Alibi) का प्रश्न है, अभियुक्त महावीर प्रसाद द्वारा अपने परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह कहना कि दिनांक 29.04.1998 एवं दिनांक 30.04.1998 को वह फैक्ट्री में उपस्थित नहीं होकर अन्यत्र उपस्थित था किन्तु इस सम्बन्ध में अवसर लेने के बावजूद उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, इसलिए परिवादी ने जो न्यायदृष्टान्त संख्या 2,3 व 17 प्रस्तुत किये हैं, वे हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर लागू होते हैं, इसलिए विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त–अपीलार्थीगण द्वारा यह कहना कि यह विशुद्ध रूप से दीवानी प्रकृति का

संव्यवहार था और इसके लिए परिवादी को BIFR में आवेदन करना चाहिए था और ऐसा नहीं करके मामले को आपराधिक रंग देने का प्रयास किया गया है, किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता ।

28. अब जहॉं तक प्राथमिकी में सम्पूर्ण तथ्य अंकित न होने तथा विलम्ब से प्राथमिकी दर्ज करवाये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में छलित व्यक्ति का यह प्रयास होता है कि जैसे तैसे उसके माल के उसे पैसे प्राप्त हो जायें और इस सम्बन्ध में वह कुछ समय के लिए विरत रहता है तो यह नहीं माना जा सकता कि इस अवधि का प्रयोग झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने में किया गया है । इन समस्त स्थितियों व परिस्थितियों को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य निर्णय में विश्लेषित किया है और यही वजह है कि विलम्ब से प्राथमिकी दर्ज करवाने एवं विलम्ब का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने के सम्बन्ध में प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के सन्दर्भ में अभियुक्त–अपीलार्थी महावीर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त संख्या 10,11 व 12 हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में लाभप्रद नहीं माने जा सकते बल्कि दूसरी ओर परिवादी पक्ष ने अपने तर्को के दौरान जो न्यायदृष्टान्त संख्या 4,5,6 व 7 प्रस्तुत किये हैं, वे प्रासंगिक हैं । इसके साथ–साथ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने परिवादी सुरेन्द्र कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत अखण्डनीय साक्ष्य से प्राथमिकी में अंकित तथ्यों को प्रमाणित होना माना है और परिवादी सुरेन्द्र कुमार की साक्ष्य का समर्थन पी.डब्ल्यू.2 दिनेश कुमार (ट्रक स्वामी), उसके मुनीम रामावतार (पी.डब्ल्यू.3) एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षीगण पी.डब्ल्यू.4 लाल चन्द एवं पी.डब्ल्यू.7 हीरा लाल की साक्ष्य से होना माना है । साक्षीगण के पुलिस बयान, लिखित रिपोर्ट एवं अनुपूरक अभिकथनों से भिन्न जो मुख्य परीक्षण में परिवादी ने साक्ष्य दी है, उसके सम्बन्ध में जो अभिवृद्धियॉं होना बताया गया है, इन सभी तथ्यों को परिवादी सुरेन्द्र कुमार ने अपनी अखण्डनीय एवं पुष्टिकारक साक्ष्य से समर्थित किया है, इसलिए बयानों में संवर्द्धन, लोप एवं विरोधाभास के कारण इन साक्षीगण की साक्ष्य को अविश्वसनीय माने जाने के सम्बन्ध में अभियुक्त–अपीलार्थी महावीर प्रसाद के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायदृष्टान्त संख्या 13,14 व 15 उनके लिए लाभप्रद नहीं हैं । इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्तागण परिवादी पक्ष ने अपने तर्को के समर्थन में जो न्यायदृष्टान्त संख्या 8,9,10,11 व 12 प्रस्तुत किये हैं, वे प्रासंगिक होकर दृष्टव्य हैं ।

29 अब जहॉं तक विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थीगण द्वारा अपने तर्को के दौरान प्रस्तुत इस तर्क का प्रश्न है कि मानसिंगा ऑयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के अधिकारी द्वारा किये गये कृत्यों के लिए उसके डायरेक्टर प्रतिनिहित रूप से दायित्वाधीन नहीं हैं और इस सम्बन्ध में अभियुक्त–अपीलार्थी महावीर प्रसाद की ओर से न्यायदृष्टान्त संख्या 16 व 17 प्रस्तुत किये गये हैं और अन्य अभियुक्त–अपीलार्थी वीरेन्द्र कुमार के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा न्यायदृष्टान्त संख्या–1 प्रस्तुत किया गया है जो वही है जो अभियुक्त महावीर प्रसाद के विद्वान अधिवक्तागण ने न्यायदृष्टान्त संख्या–17 के रूप में प्रस्तुत किया है । ये न्यायदृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में इसलिए चस्पा नहीं होते हैं कि मानसिंगा ऑयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के विधिवत् डायरेक्टर वीरेन्द्र कुमार स्वयं ने तथा अभियुक्त

महावीर प्रसाद ने मानो अपने आपको वस्तुतः (De-facto) डायरेक्टर बताते हुए स्वयं की कम्पनी का प्रतिष्ठित होना एवं कम्पनी का व्यापार अच्छा चलना एवं स्वयं को इसका मालिक होना बताकर फैक्ट्री के BIFR में चले जाने के तथ्य को छुपाते हुए (प्रवंचना करते हुए) 15 दिवस के भीतर नकद भुगतान का आश्वासन देकर परिवादी से 300 बोरी सोयाबीन प्राप्त की गई है, जिसका भुगतान आज तक नहीं किया गया है और न ही परिवादी का माल वापस लौटाया गया है । इस प्रकार अभियुक्त पक्ष ने स्वयं को सदोष लाभ एवं परिवादी को सदोष क्षति कारित की है जो कि दोनों अभियुक्तगण द्वारा प्रारम्भ से ही आपराधिक मानस से धोखा देने का कृत्य किया गया है जो कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक साक्ष्य (पी. डब्ल्यू.1 सुरेन्द्र कुमार जैन, पी.डब्ल्यू.2 दिनेश कुमार, पी.डब्ल्यू.3 रामावतार, पी. डब्ल्यू.4 लाल चन्द एवं पी.डब्ल्यू.7 हीरा लाल के कथन) एवं पी.डब्ल्यू.8 गंगासहाय शर्मा (अनुसंधानकर्ता) की साक्ष्य से प्रमाणित है जिनकी कि अभियुक्तगण से कोई पूर्व रंजिश नहीं है तथा अभियोजन पक्ष के इन साक्षीगण के कथनों में जो थोड़े बहुत विरोधाभास आना बताये गये हैं, वे समय के अन्तराल से, प्रत्येक साक्षी की ऑब्जर्वेशन क्षमता एवं सीमित स्मरण शक्ति से आना स्वाभाविक है। उससे अभियोजन की कहानी बजाय सन्देह युक्त होने के स्वाभाविक दिखाई देती है।

अतः अभियोजन पक्ष के इस तर्क में कोई सार नजर नहीं आता कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों में आये हुये विरोधाभासों एवं लोपों की ओर ध्यान नहीं दिया और फिर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध में लिप्त होने की जो साक्ष्य आई है, उसके मूलभूत बिन्दुओं (प्रवंचना करके परिवादी से माल प्राप्त करना, माल फैक्ट्री में पहुॅचना व आश्वासन के बावजूद परिवादी को आज तक भुगतान नहीं करना) पर कहीं पर भी अभियोजन साक्षीगण से विस्तृत प्रतिपरीक्षण के बावजूद खण्डन नहीं हुआ है तथा प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अवसर लेने के बावजूद अपनी ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे कि यह दिखाई दे कि बचाव पक्ष ने परिवादी पक्ष को प्रवंचित नहीं किया हो। इसी प्रकार प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य बिल बुक प्रदर्श आर्टिकल–1 उसमें बिल संख्या 23 व 24 (प्रदर्श पी.1 व पी.2) माल फैक्ट्री में पहुंचने के सम्बन्ध में बिल पास एडवाइजर (प्रदर्श पी.3 व पी.4), प्राथमिकी विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण बाबत् जिला कलक्टर को दिये गये प्रार्थना–पत्र दिनांकित 25.02. 1999 (प्रदर्श पी.6), मानसिंगा ऑयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा अपने उद्योग को बीमार घोषित करने के सम्बन्ध में लिये गये संकल्प दिनांक 21.01.1998 एवं Sundry Creditors Summary में परिवादी का नाम होने के सम्बन्ध में प्रदर्श पी.9 Back Ground Note for BIFR (प्रदर्श पी.34) आदि प्रलेखीय साक्ष्य से प्रमाणित हैं– इन समस्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विचारणीय बिन्दु बनाकर धारा 420 भा.दं.सं. के सम्बन्ध में धारा 415 भा.दं.सं. में उल्लेखित आवश्यक तत्वों एवं धारा 23,24,25 व 26 भा.दं.सं. में परिभाषित क्रमशः ''सदोष लाभ'', ''बेईमानी से '', ''कपटपूर्वक'' एवं ''विश्वास करने का कारण'' शब्दों को समन्वयपूर्वक उनके तथ्यों को विश्लेषित करते हुए, बचाव पक्ष के सभी तर्को एवं न्यायदृष्टान्तों का विचारपूर्वक विवेचन करते हुए उन्हें न मानने बाबत् कारण सहित

व्याख्या की है तथा अभियोजन पक्ष की साक्ष्य को सही रूप से मूल्यांकित करते हुए धारा 420 भा.दं.सं. के सम्बन्ध में उपरोक्त पैरा संख्या 22 में वर्णित विधिक स्थिति के मुताबिक इस आरोपित अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित मानकर अपीलार्थी–अभियुक्तगण महावीर प्रसाद एवं वीरेन्द्र कुमार की उक्त अपराध अन्तर्गत धारा 420 भा.दं.सं. में जो दोषसिद्धि स्थापित की है, वह विधिसम्मत एवं त्रुटिरहित होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है ।

30. उपर्युक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी–अभियुक्तगण महावीर प्रसाद एवं वीरेन्द्र कुमार के विरूद्ध पारित दोषसिद्धि अन्तर्गत धारा 420 भा.दं.सं. की पुष्टि की जाती है ।

31. जहाँ तक धारा 406 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए अपीलार्थी–अभियुक्तगण महावीर प्रसाद एवं वीरेन्द्र कुमार की दोषसिद्धि का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय रहे कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 36 में इस सन्दर्भ में साक्ष्य का कोई विशेष विवेचन नहीं किया है और मात्र धारा 420 भा.दं.सं. के अपराध के लिए जिन आधारों पर दोषसिद्धि की गई है, उन्हीं को आधार बनाकर धारा 406 भा.दं.सं. के अपराध में भी दोषसिद्धि कर दी गई है जबकि धारा 406 एवं 420 भा.दं.सं. के अपराधों के आवश्यक तत्वों में सारभूत अन्तर है । धारा 406 भा.दं.सं. के लिए विशिष्ट रूप से अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है कि परिवादी एवं अभियुक्तगण के मध्य ट्रस्टीशिप का सम्बन्ध स्थापित हुआ एवं उस ट्रस्टीशिप के चलते ही माल अभियुक्तगण को न्यस्त किया गया एवं उस न्यस्त किये गये माल का अभियुक्तगण द्वारा दुर्विनियोग किया गया किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई स्पष्ट साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है । अभियोजन पक्ष का सार रूप से केस ही यह है कि विक्रय प्रतिफल के बदले में सोयाबीन बेची गई है एवं वह सोयाबीन अपीलार्थीगण को भुगतान के वायदे के आधार पर परिवादी ने सप्लाई करके सौंपी (Handed over) है एवं जैसे ही माल अभियुक्तगण को भुगतान के वायदे के आधार पर सौंपा गया तो विक्रय संव्यवहार पूर्ण हो चुका था एवं माल का स्वत्व अभियुक्तगण को अन्तरित हो गया था और उसके बाद वे अपनी इच्छा के अनुसार उसका व्ययन करने के लिए स्वतंत्र थे । हस्तगत प्रकरण में परिवादी का यह केस नहीं है कि उसके एवं अभियुक्तगण के मध्य कोई ऐसा अनुबन्ध हुआ था कि अभियुक्तगण को इन शर्तो के साथ माल सौंपा गया हो कि सोयाबीन की गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग (Quality Control Deptt.) से तय होने के बाद ही बिल काटा जायेगा, इसलिए जहाँ तक आपराधिक न्यास भंग के सम्बन्ध में साक्ष्य का पूर्ण रूप से अभाव हो, वहाँ पर अभियुक्तगण के लिए ''अमानत'' एवं ''दुर्विनियोग'' जैसे शब्दों का प्रयोग करने मात्र के आधार पर धारा 406 भा.दं.सं. के अपराध में दोषसिद्धि स्थिर नहीं रखी जा सकती । अतः अभियुक्त–अपीलार्थीगण के विरूद्ध धारा 406 भा.दं.सं. के अपराध के अधीन जो दोषसिद्धि की गई है, वह न्यायोचित नहीं है, इस कारण धारा 406 भा.दं. सं. में की गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को अपास्त करते हुए इस हद तक आंशिक रूप से अभियुक्त–अपीलार्थीगण की अपीलें स्वीकार की जाती हैं ।

32. जहाँ तक दण्डादेश का प्रश्न है, विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त–अपीलार्थी

महावीर प्रसाद ने अपने तर्को के दौरान न्यायदृष्टान्त संख्या 18 व 19 प्रस्तुत किये हैं जिन पर अभियुक्त–अपीलार्थी वीरेन्द्र कुमार के विद्वान अधिवक्तागण ने भी अवलम्ब लेते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 360 दं.प्र.सं. के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना नहीं की है क्योंकि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है तथा अभियुक्त महावीर प्रसाद तत्समय 80 वर्ष का वृद्ध एवं अस्वस्थ व्यक्ति रहा है तथा अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार भी वृद्ध एवं परिवार की देखभाल करने वाला व्यक्ति है, इसलिए इन न्यायदृष्टान्तों के आधार पर उन्हें परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाये । जबकि दूसरी ओर, विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्तागण परिवादी पक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त–अपीलार्थीगण को परिवीक्षा पर रिहा नहीं करने बाबत् अपने निर्णय में विशेष कारण अंकित किये हैं, इस कारण उन्हें परिवीक्षा का लाभ नहीं देकर कोई त्रुटि नहीं की गई है किन्तु आगे यह भी तर्क दिया है कि धारा 420 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए सात वर्ष के विहित कारावास का दण्ड होने के बावजूद मात्र एक वर्ष के कारावास से अभियुक्त–अपीलार्थीगण को दण्डादिष्ट किया गया है जो अत्यन्त अल्प दण्ड है । साथ ही यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि ऐसा दण्ड देते समय परिवादी को धारा 357(3) दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत कोई मुआवजा भी नहीं दिलवाया गया है, इसलिए यह अपीलीय न्यायालय कम से कम 1500000/–रूपये का मुआवजा भी परिवादी सुरेन्द्र कुमार जैन को दिलवाये ।

33. उभय पक्ष को सजा के प्रश्न पर सुना गया । उल्लेखनीय रहे कि यह बात सही है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध होना बताया गया है किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या–37 में अभियुक्त–अपीलार्थीगण को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिये जाने के सन्दर्भ में विशेष कारण (Special Reasons) उल्लेखित किये हैं जो निम्नवत् हैं :–

'' अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का होने के कारण एवं बड़ी रकम के सम्बन्ध में छल कारित किये जाने का है । वैसे भी समाज में इस प्रकार की घटनाऍं आम हो रही हैं जिन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आमजन का न्याय व्यवस्था से विश्वास घटेगा । इस प्रकार हस्तगत प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं पाते हैं ।''

34. किसी दोषसिद्ध अपराध के अभियुक्त को उस प्रकरण की परिस्थितियों में परिवीक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए था अथवा नहीं, इसके लिए कारण सहित विवेचन अपेक्षित है । हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्तगण द्वारा कारित किये गये अपराध की प्रकृति व समग्र तथ्यों तथा परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें परिवीक्षा का लाभ देने से इनकार करते हुए उन्हें दोषसिद्ध कर दण्डित करने का जो निर्णय लिया है, वह समय की पुकार है एवं पूर्णतः औचित्यपूर्ण कदम है । विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त–अपीलार्थीगण ने इस सन्दर्भ में जो न्यायदृष्टान्त संख्या 18 व 19 प्रस्तुत किये हैं, उनके तथ्य

हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से सर्वथा भिन्न होने के कारण मेरी विनम्र राय में अभियुक्त–अपीलार्थीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है ।

35. अब जहॉ तक दण्डादेश की मात्रा का प्रश्न है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों अभियुक्त–अपीलार्थीगण महावीर प्रसाद व वीरेन्द्र कुमार को धारा 420 भा.दं. सं. के अपराध के लिए विहित सात वर्ष के कारावास के दण्ड की अवधि होने के बावजूद प्रत्येक अभियुक्त को मात्र एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 5000/–रूपये अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 15 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया है जो मेरे विनम्र मतानुसार इस प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक्, पर्याप्त एवं न्यायोचित है क्योंकि ''न्याय दया के साथ होना चाहिए '' (Justice should be imparted/ delivered with mercy) नामक सिद्धान्त की अनुपालना में दिया गया दण्ड है लेकिन यहॉ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दण्डादेश देते समय धारा 357(3) दं.प्र.सं. में अंकित निर्देश यथा–'' जब न्यायालय ऐसा दण्ड अधिरोपित करता है, अभियुक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि उस कार्य के कारण, जिसके लिए उसे दण्ड दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे वह प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट है ।'', की अनुपालना नहीं की है । इस सम्बन्ध में यहॉ पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टान्त अंकुश शिवाजी गायकवाड़ विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य (2013) 6 एस.सी.सी. 770 में दण्डादेश पारित करते हुए अपराध से प्रभावित पीड़ित पक्ष को धारा 357 दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत प्रतिकर दिलवाने के सम्बन्ध में आज्ञापक निर्देश देते हुए इस निर्णय की प्रतिलिपि राष्ट्र के समस्त उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को सम्प्रेषित करते हुए उसका सर्कुलेशन उन सभी न्यायाधीशों को भी किया है जो आपराधिक विचारण करते हैं एवं ***आपराधिक अपीलों*** को निर्णीत करते हैं । उल्लेखनीय रहे कि इस न्यायदृष्टान्त का सन्दर्भ विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त–अपीलार्थी महावीर प्रसाद द्वारा उपर्युक्त पेरा संख्या 14 में प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त संख्या 18 में भी दिया गया है।

36. ***माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस न्यायदृष्टान्त अंकुश शिवाजी गायकवाड़ विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य (2013) 6 एस.सी.सी. 770 में निम्नांकित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–***

A.Victimology- Award of compensation to victim (s) of crime or their dependants under S.357 Crpc-Mandatory duty of criminal court to apply its mind to question of awarding compensation in every case-Power is not ancillary to other sentences but in addition thereto -Use of word "may" in S.357 held does not mean that court need not consider applicability of S. 357 in every criminal case -S. 357 crpc confers power coupled with duty on court to mandatorily apply its mind to question of awarding compensation in every criminal case - Court must also disclose that it has applied its mind to such question by recording reasons for awarding /refusing grant of compensation-power given to courts under S. 357 is intended

to reassure victim that he/she is not forgotten in criminal justice system-Very object of S. 357 would be defeated if courts choose to ignore S. 357 and do not apply their mind to question of compensation-Hence, S. 357 is to be read as imposing a mandatory duty on court to apply its mind to question of awarding compensation in every case-Courts directed to remain careful in future as to their mandatory duty under S. 357 Crpc-Copy of order directed to be forwarded to Registrars General of all High Courts for its circulation amongst Judges handling criminal trials and hearing criminal appeals.

37. अतः चूँकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 357 दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवादी को प्रतिकर दिलवाने के उद्देश्य की अनदेखी की है, इसलिये यह न्यायालय उक्त न्यायदृष्टान्त से रोशनी ग्रहण करते हुये परिवादी सुरेन्द्र कुमार जैन (पीड़ित) को 300 बोरी सोयाबीन के बिल्स की मूल राशि 03,06,409/—रूपये (प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.4 में वर्णितानुसार) दोनों अभियुक्त—अपीलार्थीगण से दिलवाया जाना न्यायोचित है ताकि पीड़ित पक्ष के अधिकारों की अनदेखी नहीं होकर न्याय का मार्ग प्रशस्त हो सके एवं उक्त न्यायदृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त की अक्षरशः अनुपालना भी सुनिश्चित हो सके।

:: आदेश ::

38. निष्कर्षतः अभियुक्त—अपीलार्थीगण महावीर प्रसाद एवं वीरेन्द्र कुमार की ओर से प्रस्तुत ये दोनों दाण्डिक अपीलें एतद्नुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं एवं उन्हें धारा 406 भा.दं.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय—न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी द्वारा निर्णय दिनांक 25.07.2012 के माध्यम से उनके विरूद्ध धारा 406 भा.दं.सं. के अधीन पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को अपास्त किया जाता है।

39. उक्त दोनों अभियुक्त—अपीलार्थीगण महावीर प्रसाद एवं वीरेन्द्र कुमार के विरूद्ध उक्त आलौच्य निर्णय दिनांक 25.07.2012 के माध्यम से धारा 420 भा.दं.सं. के अधीन पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत रखा जाता है और इस सन्दर्भ में उनकी ये दोनों अपीलें अस्वीकार की जाकर उक्त अधीनस्थ न्यायालय—न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी के निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है।

40. जहाँ तक राजस्थान राज्य एवं परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 148/2012 राजस्थान राज्य विरूद्ध महावीर प्रसाद व अन्य का प्रश्न है, उनकी भी यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलार्थी—अभियुक्तगण महावीर प्रसाद एवं वीरेन्द्र कुमार के विरूद्ध धारा 420 भा.दं.सं. के अधीन पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत रखते हुये उसकी पुष्टि करते हुये उनके द्वारा की गई दण्ड के परिमाण में अभिवृद्धि की अभ्यर्थना को अस्वीकार किया जाता है, किन्तु धारा 357 (3) दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत

अभियुक्त–अपीलार्थीगण महावीर प्रसाद एवं वीरेन्द्र कुमार को आदेशित किया जाता है कि वे दोनों संयुक्ततः इस प्रकरण के परिवादी सुरेन्द्र कुमार जैन (पी. डब्ल्यू. 01) को 300 बोरी सोयाबीन के कथित दोनों बिल्स की मूल राशि 03,06,409/–रूपये (तीन लाख छः हजार चार सौ नो रूपये मात्र) प्रतिकर के रूप में अदा करेंगे।

संशोधित सजा वारन्ट तैयार हो । इस निर्णय की प्रतिलिपि अपीलार्थी–अभियुक्तगण के अधिवक्तागण को धारा 363 दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत तुरन्त निःशुल्क प्रदत्त की जाये ।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की प्रति सहित अनुपालनार्थ तुरन्त लौटाया जाये ।

(अशोक कुमार व्यास)
सेशन न्यायाधीश,बून्दी
(राजस्थान)

41. निर्णय आज दिनांक 24 सितम्बर, 2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सेशन न्यायाधीश, बूंदी
(राजस्थान)